लद्दाख शासन-मसौदा: निर्वाचित संस्था, वास्तविक शक्तियाँ और संवैधानिक सुरक्षा

मुख्य परीक्षा विश्लेषण | समाचार-संदर्भ: 15–24 अक्टूबर 2026 | नवीनतम स्पष्ट प्रतिक्रिया: 24 अक्टूबर 2026 | रिपोर्टिंग अपडेट और प्रकाशन: 25 अक्टूबर 2026



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

लद्दाख के लिए प्रस्तावित शासन-व्यवस्था पर केंद्र और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के बीच मतभेद फिर सामने आए हैं। *द इंडियन एक्सप्रेस* की 24 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) ने उस दिन की प्रेस वार्ता में गृह मंत्रालय के मसौदे को अपर्याप्त बताते हुए अस्वीकार किया। यह 25 अक्टूबर को हुई नई घोषणा नहीं है। इससे पहले 15 अक्टूबर की वार्ता में रखे गए मसौदे पर लेह एपेक्स बॉडी (LAB/ABL) और KDA आपत्ति जता चुके थे।

विवाद केवल निर्वाचित सदस्यों की संख्या का नहीं है। असली प्रश्न यह है कि प्रस्तावित निर्वाचित संस्था के पास कानून बनाने, बजट तय करने, अधिकारियों से काम कराने और भूमि-संस्कृति की रक्षा करने की कितनी शक्ति होगी। चुनाव से प्रतिनिधित्व मिलता है; प्रभावी स्वशासन के लिए अधिकार, संसाधन और जवाबदेही भी चाहिए।

घटनाक्रम को अलग-अलग समझें

- **15 अक्टूबर:** लेह में उप-समिति की बैठक में मसौदा प्रस्तुत किया गया।
- **16 अक्टूबर:** UNI की रिपोर्ट ने LAB और KDA की सिद्धांततः अस्वीकृति दर्ज की।
- **19 अक्टूबर:** *द न्यू इंडियन एक्सप्रेस* ने 32-पृष्ठीय मसौदे पर आपत्तियों और आंदोलन जारी रखने के रुख की रिपोर्ट दी।
- **24 अक्टूबर:** KDA की प्रेस वार्ता और प्रस्ताव के विवरण पर नई रिपोर्टें आईं।

दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने की तारीख पर द्वितीयक रिपोर्टों में अंतर है: 24 अक्टूबर की एक रिपोर्ट इसे गुरुवार और 25 अक्टूबर का व्याख्यात्मक लेख शुक्रवार बताता है। इसलिए इस लेख में सार्वजनिक प्रकटीकरण की एक निश्चित तारीख नहीं मानी गई है। मूल मसौदा और वार्ता-कार्यवाही की प्रामाणिक प्रतियाँ इस समीक्षा में नहीं मिल सकीं; मसौदे से जुड़ी बातें संबंधित समाचार रिपोर्टों के हवाले से दी गई हैं।

मसौदा क्या कहता बताया गया है?

द इंडियन एक्सप्रेस की 24 अक्टूबर की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, परामर्श मसौदा एक नए **अनुच्छेद 371K** के जरिए केंद्र शासित प्रदेश स्तर की निर्वाचित संस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव रखता है। इसके गठन, काम और शक्तियों का विवरण अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति के विनियम से तय करने की परिकल्पना है। इसे अंतिम सरकारी निर्णय या लागू संवैधानिक संशोधन नहीं समझना चाहिए। रिपोर्ट स्वयं इसे परामर्श के लिए मसौदा और प्रस्तावित शक्तियों को संकेतात्मक बताती है।

उसी रिपोर्ट के अनुसार, संस्था के बनाए विनियम प्रभावी होने से पहले उपराज्यपाल की स्वीकृति चाहेंगे; केंद्रीय कानून लागू रहेंगे। भूमि, संस्कृति, पर्यावरण, योजना और बजट जैसे निर्दिष्ट विषयों पर भूमिका की बात है। प्रतिनिधियों की आपत्ति है कि ऐसी व्यवस्था मई की बातचीत में अपेक्षित वास्तविक विधायी, कार्यकारी और वित्तीय अधिकारों से कमजोर होगी। यह उनका दावा है, कोई न्यायिक निष्कर्ष नहीं।

इसलिए विवाद को “मसौदे में संवैधानिक दर्जे का कोई प्रस्ताव ही नहीं” कहकर समझाना गलत होगा। अधिक सटीक अंतर है: प्रस्तावित दर्जा किस तरह की शक्ति देगा, किन विषयों पर निर्णय होगा और निर्वाचित संस्था तथा उपराज्यपाल के बीच अंतिम अधिकार किसका होगा?

कानूनी पृष्ठभूमि: तीन अलग व्यवस्थाएँ

केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन: अनुच्छेद 239 सामान्य रूप से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की व्यवस्था करता है, जब तक संसद कानून से अन्य व्यवस्था न करे। गृह मंत्रालय का आधिकारिक विभागीय विवरण लद्दाख को विधानसभा-विहीन केंद्र शासित प्रदेश बताता है और लद्दाख के लिए अनुच्छेद 240 के तहत विनियम तैयार करने की भूमिका स्पष्ट करता है।

छठी अनुसूची: संविधान का यह ढाँचा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा है। किसी संस्था का नाम “स्वायत्त हिल परिषद” होने से उसे अपने-आप छठी अनुसूची का संवैधानिक दर्जा नहीं मिल जाता। लद्दाख की हिल परिषदों, प्रस्तावित प्रदेश-स्तरीय संस्था और छठी अनुसूची को एक ही व्यवस्था नहीं मानना चाहिए।

प्रस्तावित अनुच्छेद 371K: रिपोर्टों में यह लद्दाख-विशिष्ट संरक्षण के विचार का नाम है। भूमि, रोजगार, संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों पर कौन-सी सुरक्षा मिलेगी, यह वास्तविक अंतिम पाठ पर निर्भर करेगा। किसी अन्य राज्य के विशेष प्रावधान की सभी शक्तियाँ केवल मिलते-जुलते अनुच्छेद नाम से लद्दाख को मिल जाएँगी, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

प्रतिनिधित्व से प्रभावी स्वशासन तक

निर्वाचन → स्पष्ट अधिकार: जनता किस संस्था को चुनेगी और वह किन विषयों पर निर्णय ले सकेगी?

अधिकार → काम करने के साधन: बजट, कर्मचारी और प्रशासनिक निर्देशों पर कितना नियंत्रण होगा?

निर्णय → जवाबदेही: स्वीकृति, समीक्षा, विवाद-निपटान और सार्वजनिक जानकारी की व्यवस्था क्या होगी?

परीक्षा में अंतर: परिषदों या सीटों की संख्या बढ़ना और निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति बढ़ना अलग बातें हैं। यह विश्लेषणात्मक चित्र है, मसौदे की स्वीकृत संस्थागत संरचना नहीं।

मुख्य परीक्षा में विश्लेषण

स्थानीय भागीदारी: दुर्गम भूगोल और छोटे, दूर-दूर बसे समुदायों में प्रदेश-स्तरीय प्रतिनिधित्व तथा स्थानीय निकायों के बीच काम का साफ बँटवारा जरूरी है। एक अतिरिक्त संस्था तभी उपयोगी होगी जब जिम्मेदारी और अधिकार मेल खाएँ।

भूमि और पहचान: विकास की जरूरत, नाजुक पर्यावरण और स्थानीय आजीविका को साथ देखना होगा। संरक्षण की भाषा के साथ उसके लागू होने का तरीका और कानूनी उपाय भी स्पष्ट होने चाहिए।

केंद्र-स्थानीय संतुलन: राष्ट्रीय दायित्व और लोकतांत्रिक भागीदारी को शून्य-योग टकराव मानना पर्याप्त नहीं। विषय-सूची, वित्त, प्रशासनिक नियंत्रण तथा असहमति सुलझाने की प्रक्रिया साफ लिखी जाए तो अस्पष्टता घट सकती है।

वार्ता की विश्वसनीयता: सहमति, परामर्श मसौदा और अंतिम कानून तीन अलग चरण हैं। प्रामाणिक दस्तावेज सार्वजनिक करना, आपत्तियों का जवाब देना और अगला चरण स्पष्ट करना भरोसा बनाए रखने में मदद कर सकता है। दोनों क्षेत्रीय संगठनों की स्थिति को पूरे लद्दाख की निर्विवाद सर्वसम्मति भी नहीं मानना चाहिए; नेतृत्व के भीतर अलग मतों की रिपोर्टें मौजूद हैं।

संबंधित पृष्ठभूमि: कारगिल हिल परिषद भंग होने और पंचायत चुनाव की अलग खबर।

वह प्रशासनिक-चुनावी घटनाक्रम है; यह लेख शासन-मसौदे की शक्तियों और संवैधानिक संरक्षण पर है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

"निर्वाचित संस्था की स्थापना अपने-आप प्रभावी स्वशासन सुनिश्चित नहीं करती।" लद्दाख के प्रस्तावित शासन ढाँचे के संदर्भ में विधायी शक्ति, वित्तीय अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: प्रतिनिधित्व और निर्णय-शक्ति का अंतर बताएँ।

मुख्य भाग में: विषयगत अधिकार, बजट, अधिकारी-नियंत्रण, उपराज्यपाल की भूमिका और संरक्षण के कानूनी आधार की चर्चा करें। छठी अनुसूची, हिल परिषद और प्रस्तावित विशेष प्रावधान को अलग रखें।

निष्कर्ष में: स्पष्ट अधिकार-विभाजन, पारदर्शी वार्ता और विवाद-निपटान की जरूरत लिखें; परामर्श मसौदे को लागू कानून न मानें।

स्रोत

- UNI, 16 अक्टूबर: वार्ता के बाद अस्वीकृति
- द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 19 अक्टूबर: आपत्तियों का विवरण
- द इंडियन एक्सप्रेस, 24 अक्टूबर: KDA की प्रेस वार्ता
- द इंडियन एक्सप्रेस, 24 अक्टूबर: परामर्श मसौदे का विवरण
- द इंडियन एक्सप्रेस, 25 अक्टूबर: वार्ता-दस्तावेज और नेतृत्व के मतभेद
- गृह मंत्रालय: जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख विभाग

- विधायी विभाग का संविधान-पाठ: अनुच्छेद 239 और छठी अनुसूची